बीस रुपये TWENTY RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

।। श्री ।।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

इन्दौर केम्प निगरानी 2000-PBR-15

निगरानी प्रकरण क्रमांक /15

श्री अजय जैन
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 11-6-2015
को प्रस्तुत

1277/11.06.2015

1. **इजराईल पिता इस्माईल**
   उम्र – 55 वर्ष, धंधा – खेती
   निवासी – गवला
   हाल मुकाम – पठानवाडी, खरगोन
2. **जालम पिता श्री फौलाद**
   उम्र – 40 वर्ष, धंधा – खेती
   निवासी – गवला तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)

... निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

रमेश पिता श्री सीताराम
उम्र – 55 वर्ष, धंधा – खेती
निवासी – गवला तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)

... प्रत्यर्थी

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, खरगोन, जिला खरगोन के न्यायालय के प्र.क्रं. 2/अ–70/10–11 के पारित आदेश दिनांक 25/05/2015 से व्यथित होकर सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2080 — PBR/15 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–6–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–5–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन प्रकरण तलब करने एवं भूमि का पुनः स्थल निरीक्षण कर नप्ती किए जाने का अनुरोध किया गया । इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में स्थल निरीक्षण तथा पुनः नप्ती का कोई प्रावधान नहीं है, और संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन प्रकरण बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	